संख्याः— 621/36—5—12—7(21)/2008

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग—5 लखनऊ दिनॉक 16 मई, 2012

विषयः— **नेशलन ई—गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) योजना में इलेक्ट्रानिक्स फार्म्स (ई—फार्म्स) द्वारा जन सामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर्स)/लोकवाणी केन्द्रों/जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था के संबध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई—गवर्नेन्स प्लान की स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण एंव शहरी अंचलों में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से श्रम विभाग की दो सेवाओं यथा "सेवायोजन कार्यालय में नवीन पंजीयन" एंव सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन का "नवीनीकरण" को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया संबधी निर्गत शासनादेश सं0 1796/36—5—2010—7 (21)/2008 टी.सी.—1 दिनॉक 18.11.2010 के अनुरूप दिनॉक 01.07.2012 से इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से यह सेवांए जन सामन्य को उपलब्ध करायी जानी है। 06 पायलट ई—डिसट्रिक्ट जनपदों यथा गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली गौतमबुद्ध नगर एंव गाजियाबाद में पूर्व से दी जा रही संबधित सेवाएं ई—डिस्ट्रिक्ट योजना में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेंगी।

2. योजना को सफलतापूर्वक गो — लाइव किए जाने हेतु जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में निम्न कार्यवाहियॉ ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाना हैः—

(क) आई.टी. एंव इलक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा जनपद/तहसील/ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयो में गैप इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपलब्ध कराए गए अथवा पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर संयंत्र एंव सहवर्ती उपकरण स्थापित एंव कियाशील है तथा उन पर नेटवर्क/इन्टरनेट कनेक्टीविटी भी उपलब्ध है।

(ख) समस्त जिला सेवायोजन अधिकारी, जिन्हे डिजीटल सिग्नेचर हेतु अधिकृत किया गया है तथा जिनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति/स्वीकृति इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दी जाएगी, के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार कर लिए गए है। यदि इन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अभी तक तैयार नही हुए है तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा निम्न कार्यवाही शीघ्र की जानी होगीः—

- सम्बधिंतों द्वारा एन.आई.सी. से डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त किए जाने होगें।
- एन.आई.सी. से डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि निर्धारित आवेदन प्रपत्र, जो कि जनपद स्तर पर डी.आई.ओ., एन.आई.सी. के माध्यम से अथवा http://nicca.nic.in बेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते है, को संबधितो द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर जनपद स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रसारित

कराते हुए एन.आई.सी. को उपलब्ध कराना होगा जिसके उपरान्त एन.आई.सी. द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा।

- योजना के अन्तर्गत जिन अधिकारियों के लिए डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक है तथा यदि उनको किसी अन्य योजना में डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए है, तो ऐसी स्थिति में उन्हे पुनः डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नही है अपितु उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ही प्रयोग किया जाना होगा। उनके द्वारा यह भी जांच कर लेना आवश्यक होगा कि उपलब्ध डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की अवधि योजना के गो–लाइव होने से पूर्व समाप्त तो नही हो रही हो। अवधि समाप्त होने की दशा में उनके द्वारा उपरोक्त प्रक्रियानुसार अपने डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करा लिया जाना आवश्यक होगा।

3. समस्त जिला सेवायोजन अधिकारी तथा कार्य से जुडे अन्य कार्मिकों द्वारा एन.आई.सी. से यथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। यदि किन्ही कारणोंवश उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नही किया गया है तो वह जनपद के संबधित डी.आई.ओ./एस.आई.ओ. एन.आई.सी. से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण आदि प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

4. गो–लाइव के पूर्व अर्थात दिनॉक 15.06.2012 के उपरान्त एन,.आई.सी. के स्थानीय अधिकारी के समन्वय से विभागीय हार्डवेयर पर स्टेट पोर्टल एंव ई–फार्म्स का उपयोग करते हुए पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही कर ली जाए ताकि गो–लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

5. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइंट्स यथा जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर्स), लोकवाणी केन्द्रों तथा जन सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रनिक्स डिलीवरी से सेवाओं को प्रदान किए जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गई है।

6. उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि राज्य में कॉकन सर्विस सेन्टर योजना के अन्तर्गत चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सीज के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार डिलीवरी की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ई–गवर्नेन्स सेवाओं के लिए निम्न शुल्क प्राविधानित हैः–

क्र.सं.	ई–गवर्नेन्स सेवा का नाम	नागरिक से लिए जाने वाला शुल्क (प्रति सेवा रू0)	नागरिक से लिए जाने वाले शुल्क का अंश विभाजन (प्रति सेवा रू0)	
			राज्य सरकार	सी.एस.सी.
1	सेवायोजन कार्यालय में नवीन पंजीयन	10/–	0	10/–
2	सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण	10/–	0	10/–

7. उपरोक्तानुसार वॉछित समस्त कार्यवाहियॉ शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या 621(1)/36–5–12 तददिनॉक लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आई.टी. एंव इलेक्ट्रनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एंव सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ.प्र. अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. इलेक्ट्रनिक्स कार्पोरेशन लि., अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. उप महानिदेशक, एंव एस.आई.ओ., एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त जिला सेवायोजन अधिकारी को इस आशय से कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा सें,

(रूद्र कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव